

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/पी0एम0सी0/विविध/24/2024-पार्ट-I - 83

पटना, दिनांक:- 24/01/25

प्रेषक,

ई0 आलोक कुमार
संयुक्त सचिव, अभियंत्रण।

सेवा में,

सभी अभियंता प्रमुख,
सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :- Codal Provision से प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्य कराने के संबंध में।

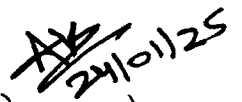
महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा बिहार सेवा संहिता/ Bihar Public Work Code/ Bihar Account Code एवं अन्य संदर्भित Code सहित समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत Circular एवं प्रभावी Executive Order में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है तथा मामले के निष्पादन हेतु उच्चतर कार्यालय में समर्पित कर दिया जाता है, जिसके कारण कार्यों/मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है, और कार्य की प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त वर्णित कोडों, Circular एवं Executive Order के अनुरूप कार्यों/मामलों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन नहीं किये जाने पर, जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

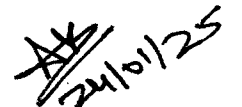

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण

ज्ञापक- 1/पी0एम0सी0/विविध/24/2024-पार्ट-I - 83

पटना, दिनांक- 24/01/25

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, अभियंत्रण